## न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता – *बी0एल0 कोठारी, आई.ए.एस*

*राजस्व अपील संख्या 03/2019*

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. डोली मन्दिर विष्णु भगवान, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर जरिये पुजारी भीखूदास पुत्र गोपालदास, निवासी– झालामण्ड, जोधपुर।<br>2. गणपतसिंह पुत्र स्व0 सीताराम माली निवासी जावतो की बावडी, सूरसागर, जोधपुर। | | 1. मैसर्स अमर आदेश्वर इन्फ्रास्ट्रचर, मैसर्स अमराराम कुमावत एवं अन्य, प्लॉट नं. 76, केसरबाग, शिवमदिर रोड, रातानाडा, जोधपुर। बहैसियत पार्टनर अमराराम पुत्र बालूराम कुमावत निवासी– बी–107 शास्त्रीनगर, जोधपुर।<br>2. भागीदार अशोक छाजेड पुत्र मोहनराम जैन निवासी– 76 केसरबाग, होटल फर्म रेजीडेन्सी के सामने, शिवमदिर रोड, रातानाडा, जोधपुर।<br>3. उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 90 क**(9) **राज0 भू राजस्व अधि0 1956** विरूद्ध आदेश उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 12/2016 श्रीमती कमलादेवी पत्नी अमराराम के पक्ष में दिनांक 30.5.2018 को कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का आदेश पारित किया गया एवं आदेश के तहत जारी किये गये पटटा विलेख को निरस्त करने बाबत।

**उपस्थितिः–**

1. श्री मालमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमित मेहता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः– अक्टूबर, 2019

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क (9) के तहत उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 12/2016

श्रीमती कमलादेवी पत्नी अमराराम के पक्ष में ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 209/2 मि., 215/1, 215/2 व 237/1 कुल रकबा 11.10 बीघा भूमि को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने के आदेश तथा उक्त आदेश के तहत जारी किये गये पटटा विलेख को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट की अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण का रेकर्ड तलब किया गया तत्पश्चात उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी।

3. अन्तिम बहस के पूर्व अपीलान्टस की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश करते हुए निवेदन किया कि उनके द्वारा पूर्व में उक्त अधिनियम की धारा के तहत जारी पटटे के अवलोकन के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर दी गई थी, चूंकि उक्त अपीलाधीन आदेश धारा 90 ए राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया है अतः उसे अपील के रूप में सुनवाई करते हुए मैरिट पर अपील को निर्णित की जावें।

4. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करते हुए प्रस्तुत निगरानी को अपील अनुसार सुनवाई हेतु लिया जाकर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अपील मीमों, अधिनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया।

5. दौरान सुनवाई अभिभाषक अपीलान्टस का यह कथन था कि अपीलान्ट संख्या एक उक्त मंदिर का पुजारी है एवं अपीलान्ट संख्या 2 देवभूमि के भक्त है। उक्त डोली मंदिर विष्णू भगवान ग्राम झालामण्ड के खातेदारी में खसरा संख्या 209 रकबा 42 बीघा 8 बिस्वा आया हुआ है। उक्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न राजस्व एवं सिविल न्यायालयों तथा माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं/ प्रकरण एवं वाद दायर किये हुए है जो विचाराधीन भी है। इन सभी की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपीलान्ट संख्या एक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.5.2018 को सचिव,

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को प्रस्तुत कर दिया था तथा अप्रार्थी के पक्ष में विधि विरूद्ध ले आउट प्लान खसरा संख्या 209/2 की भूमि रकबा 4 बीघा की जारी अनुमोदन स्वीकृति, पटटा विलेख जारी किये जाने या किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया था परन्तु अपीलान्ट के उपरोक्त प्रार्थना पत्रों को नजरअंदाज करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 6.6.2018 को पटटा विलेख जारी कर दिया गया।

6. अभिभाषक अपीलान्टस का यह कथन था कि अधिनस्थ कार्यालय के द्वारा उक्त खसरान भूमि जो कि डोली मंदिर भगवान विष्णू के नाम खातेदारी भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी कर दिया।

7. अभिभाषक अपीलान्टस का यह कथन था कि इससे पूर्व में एक निगरानी संख्या 168/2018 डोली मंदिर विष्णू भगवान झालामण्ड जरिये पुजारी नेमदास के द्वारा प्रस्तुत की गई थी परन्तु नेमदास ने विधि विरूद्ध तरीके से उक्त निगरानी को दिनांक 10.12.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विड्रो कर लिया था तब दूसरे पुजारी अपीलान्ट संख्या एक के द्वारा पुनः यह अपील प्रस्तुत करनी पडी।

8. अभिभाषक अपीलान्टस का यह कथन था कि अपीलाधीन पटटा विलेख के विरूद्ध भीखूदास एवं नेमदास वगैराह पुजारीगण ने एक रिट याचिका संख्या 9191/2018 अनवान डोली मंदिर विष्णू भगवान बनाम राज्य वगैराह प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है।

9. अभिभाषक अपीलान्टस का यह कथन था कि विवादित पटटा विलेख की भूमि को डोली मंदिर की खातेदारी होने के बावजूद विधि विरूद्ध तरीके से मंदिर के नाम से इन्द्राज को हटाया जाकर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बींजाराम के नाम करवाकर उसका बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पक्ष में कर दिया और उसके आधार पर पटटा विलेख जारी कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

10. अभिभाषक अपीलान्टस का यह कथन था कि उक्त खसरा संख्या 209/2 मंदिर की भूमि थी तथा मंदिर के खुदकाश्त की थी। ऐसे में उक्त भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण/नियमन एवं अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं हो सकता था। इसके अलावा मंदिर भूमि हमेशा नाबालिग होने से मंदिर के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त खसरान भूमि का न तो किसी के द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराया जा सकता था और न ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हो सकता था। इस बाबत उक्त खसरान भूमि की खतौनी बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी सम्वत 2012–2030 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। ऐसे में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर अधिनस्थ कार्यालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में की गई धारा 90–ए की कार्यवाही तथा उसकी पालना में जारी किये गये पटटा विलेख संख्या 11087 दिनांक 6.6.2018 को निरस्त किया जावें।

11. रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने अपीलान्ट की अपील के प्रत्युतर में यह कथन किया कि धारा 90 ए के तहत खातेदार अपनी कृषि खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिये जाने पर सम्बन्धित निकाय के समक्ष उक्त भूमि का समर्पण/ पर्यावसन स्थानीय निकाय के पक्ष में करने के उपरान्त समर्पणकर्ता अथवा उससे विधिक रूप से हक प्राप्त हिताधिकारी के पक्ष में पटटा विलेख जारी किया जाता है तथा धारा 90 ए के तहत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विवाद होने पर ही सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा उसका परीक्षण करने के उपरान्त धारा 90 ए के तहत हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय दिया जा सकता है, न कि उसकी पालना में अथवा अन्य विधियों के जारी किये गये पटटा विलेख के सम्बन्ध में निर्णय दे सकते है। ऐसी दशा में यह अपील न्यायालय में श्रवण योग्य नहीं है। इसके प्रत्युतर में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि अपीलाधीन पटटा विलेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 90 बी के तहत की गई कार्यवाही के अनुक्रम में जारी किया गया है जैसा कि उस पर उल्लेखित है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा

धारा 90 ए (9) के तहत इस पर सुनवाई की जा सकती है एवं इसका क्षेत्राधिकार है।

12. रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी/अपील प्रस्तुत की गई है, उसमें पुजारी के द्वारा कब से पुजारी का काम कर रहा है, वर्णित नहीं किया है। वास्तविकता में वह इस मंदिर का पुजारी नहीं है और न ही उनका कोई लोकस वादग्रस्त आराजी में बनता है। अपीलान्ट के हक–अधिकार भी प्रभावित नहीं होते है। इसके अलावा अपीलान्ट ने जो अपनी अपील/निगरानी में अलग–अलग न्यायालयों के समक्ष वाद/दावा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है, उनमें कई में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है/खारिज किया जा चुका है। पूर्व में उक्त खसरान संख्या 209/2 की भूमि श्रीकिशन पिता छगनीराम कुम्हार साकिन देह खातेदार के रूप में दर्ज थी, श्रीकिशन ने उसमें से 04 बीघा भूमि को सुदेश देवी एवं कमला, अगरोदेवी व तुलसीदेवी को बेचान कर दी। जिस पर जरिये बेचान के उनका नाम नामा0 संख्या 2350 दिनांक 20.8.2007 के जरिये राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में दर्ज हो गया। तत्पश्चात सुदेशदेवी व कमला, अगरोदेवी व तुलसीदेवी ने उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 02 बीघा भूमि को बेचान श्रीमती कमलादेवी, छोटिया देवी, कमलादेवी निवासी– बी–107, शास्त्री नगर, जोधपुर के पक्ष में कर दिया।

इसी प्रकार सुदेशदेवी व कमला, अगरोदेवी व तुलसीदेवी 1/4 हिस्सा यानि 01 बीघा भूमि के जरिये आम मुख्तयार अमराराम कुमावत पुत्र बालूराम के माध्यम से श्रीमती कमलादेवी पत्नी अमराराम को दिनांक 30.4.2015 को कर दिया। इसी प्रकार सुदेशदेवी व कमला, अगरोदेवी व तुलसीदेवी ने अपने पक्ष में उक्त खसरान में शेष रही 1/4 हिस्सा यानि 01 बीघा भूमि को भी जरिये आम मुख्तयार अमराराम कुमावत पुत्र बालूराम के माध्यम से श्रीमती कमला देवी पत्नि अमराराम को बेचान कर दिया जिसके आधार पर उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। तत्पश्चात कमला देवी, छोटीया देवी, कमलादेवी के द्वारा ग्राम झालामण्ड की खसरा संख्या 209/2 की 04

बीधा भूमि एवं अन्य खसरा नम्बरान संख्या 215/1, 237/1, 215/2 की कुल 11.10 बीघा भूमि हेतु गैर–कृषि प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 3.7.2017 को आवेदन किया गया। जिस पर जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा नियमानुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण की जाकर उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या12/2016 में दिनांक 30.5.2018 को धारा 09–क के तहत उपरोक्त खसरान भूमि का कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई है, जो नियमानुसार की गई हैं, जिसे बहाल रखा जावें।

13. रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में उक्त खसरा संख्या 209/2 के किसी प्रकार से न तो मालिकाना हक रखते है और न ही उनका नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में कभी दर्ज रहा है। इस आधार पर भी अपीलान्ट को अपनी पेश करने की अनुमति दी गई जो नियम विरूद्ध है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज करने योग्य है।

14. रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने यह कथन किया कि धारा 90–क में स्पष्ट प्रावधान अंकित किये हुए है कि किसी खातेदार के द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अनुसार अपने मालिकाना हक हिस्से वाली कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण एवं निमयन करवा सकता है और ऐसे मामलों में धारा 90–क के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयों की अपील नहीं हो सकती है। इसके अलावा अपीलान्ट/प्रार्थी अपनी अपील में यह कहीं नहीं दर्शा पाये है कि वे उक्त भूमि के हितबद्ध पक्षकार है, मात्र मंदिर की पूजा करने से वह उसके मालिकाना हक निर्धारित नहीं कर सकते है। अपीलान्ट/प्रार्थी पहले अपने हक–अधिकारों तथा उक्त खसरान भूमि के खातेदारी अधिकारों को सक्षम न्यायालय से तय करवाये तत्पश्चात उनको मालिकाना/खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर सकते है। अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा यह अपील अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को ब्लैकमेल

करने की नियत से प्रस्तुत करते रहे है जो अस्वीकार करने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण की यह अपील खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

15. हमने अपील मिमों में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न अभिलेख तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय का प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर गहनता से मनन किया। उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए (9) के तहत प्रस्तुत की गई है। जो इस प्रकार से हैः––

90-A Use of Agricultare land for Non- Agricultare Purpose-

(1) No Person holding any land for the purpose of agriculture and no transferees of such land or any part thereof, shall use the same or any part thereof, by the construction of buildings thereon or otherwise for any other purpose except with the written permission of the state government obtained in the manner hereinafter laid down and otherwise than in accordance with the terms and conditions of such permission.

(2) Any such person desiring to use land or any part thereof for any purpose other than that of agriculture shall apply for the requisite permission in prescribed manner and to the prescribed officer or authority and every such application shall contain the prescribed particulars.

(3) The state Government shall after making or causing to be made due inquiry in the prescribed manner,either refuse the permission applied for or grant the same subject to the prescribed terms and conditions.

(4) When any such land or part thereof is permitted to be used for any purpose other than that of agriculture the person to whom such permission is granted shall be liable to pay to the state government in respect thereof-

(a) An urban assessment levied at such rate and in accordance with such manner as may be laid down in rules to be made in behalf by the State Government; or
(b) Such amount by way of premium as may be prescribed by the State Government; or
(c) Both.

(5) If any such land is so used-

(a) Without the written permission of the state government being first obtained, or
(b) Otherwise than in accordance with the terms and condition of such permission, or
(c) After such permission having been refused under sub-section(3), or
(d) Without making any of payments referred to in sub section (4), the person originally holding the land as aforesaid for the purpose of agriculture as well as all subsequent transferees, if any shall be deemed to be trespasser or trespasser, as the case may be, and shall be liable to ejectment form such land in accordance with section 91 as if he or they had occupied or continued to occupy such land without lawful authority and to every such proceeding the provision of section 212 of the Rajasthan Tenancy Act,1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) shall apply as if such land were in danger or being wasted, damaged or alienated:

Provided that the state government may, in lieu of having such person and the subsequent transferees so ejected from the land in question, allow him or them, as the case maybe, to retain such land, use the same for any purpose other than that of agriculture on payment to the state government in addition to the urban assessment and premium payable under sub section (4), of such fine by way of penalty as may be prescribed.

(5A) Notwithstanding anything contained in any other provision of this section, the agriculture land may be used without permission for such non agricultural purposes as may be prescribed by the state government.

(6) Where permission under this section is sought with respect to a hand situated in an urban area, the permission shall be granted only if the desired nonagricultural purpose is permissible in accordance with the law applicable in that area and is in consonance with the master plan or any other development plan or scheme, by whatever name called, in force if any, in that area.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, when an order granting permission under law for the time being in force, when an order granting permission under this section is passed with respect to a land situated in an urban area on and from the date of such order,-

(a) Tenancy rights over such land of the person to whom permission under this section is granted shall stand extinguished; and

(b) The land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section ,or to successors, assignees or transferees of such person by the local authority for any permissible nonagricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority, subject to the payment to the local authority or urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section(4).

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act no. 3 of 1955) where

before 17th June,1999 any person, holding and land for agricultural puroposes an urban area or within the urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof for non-agricultural purposed or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and/or Will or in any other manner for purported monagricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case maybe, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in the behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such lande and thereupon thelande shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 192-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for and permissible non-agricultural purposed in accordance with the rules regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta given, by a Housing Co-operative Society or on the basis of any document of sale or agreeement to shell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by and other person claiming through such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both levaiable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

(1) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, and public trust or any religious or charitable institution or a wakf;

(2) no proceedings or orders under thish subsection shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No.33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) andthe Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

(9) And person aggrieved by an order of an officer or authority made under this section may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rand of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable , disposed of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesiad period, he shall record reasons therefor. An order passed under this sub-section shall be final.

16. इस प्रकार उपरोक्त धारा 90–क से स्पष्ट है कि केवल काश्तकार ही अपने काश्तकारी अधिकारों का उपरोक्तानुसार समर्पण अकृषि प्रयोजन कर सकता है एवं धारा 90–क(9) के तहत अपील तब ही की जा सकती है जब वादग्रस्त भूमि खातेदारी की हो।

17. उल्लेखित अपील प्रकरण में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में पूर्व के दर्ज खातेदारान से भूमि की खरीद जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के माध्यम से करते हुए अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के उपरान्त ही जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के समक्ष कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने हेतु अनुमति बाबत आवेदन पेश किया गया जिस पर जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अधिकृत प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा अप्रार्थीगणों के खातेदारी अधिकारों का पर्यावासन करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.5.2018 जारी किया गया है। जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रृटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

जहॉ तक अपीलान्टस उक्त खसरान भूमि में किसी प्रकार का हक–अधिकार रखना मानता है तो उसे सक्षम न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त करना चाहिये तत्पश्चात विधिक रूप से इस प्रकार की कार्यवाही करते।

18. इसी प्रकार धारा 90–क के तहत यदि स्वयं खातेदार अपनी खातेदारी भूमि का कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन करवाता है तो उसकी अपील सुने जाने हेतु सम्भागीय आयुक्त अधिकृत नहीं है। सम्भागीय आयुक्त को केवल मात्र राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–क की उप धारा 8 के तहत राज्य की ओर से तहसीलदार के मार्फत किसी खातेदार के द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन करते हुए पाये जाने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आदेश पारित करवाया जाता है तो ही उसे सम्भागीय आयुक्त के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की जा सकती है।

19. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर हम यह समझते है कि अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य होने से अस्वीकार किया जाना उचित होगा।

16. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 12/2016 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक .10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

**¼ch0,y0 dkBkjh½**
**fMoh tuy dfe'uj]**
**tks/kiqj**